न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज तेजसिंह व अन्य बनाम श्री नीरज कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई व अन्य किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 31/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06 2022	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीगण के सामलाती भूमि जिसके खाता संख्या नया 30 पुराना 26 के ख.स. 1054 रकबा 0.22, 1055 रकबा 0.15, 411 रकबा 0.17, 412 रकबा 0.24, 413 रकबा 0.35, 414 रकबा 0.35, 425 रकबा 0.21, 427 रकबा 0.29, 472 रकबा 0.05, 484 रकबा 0.15, 824 रकबा 0.16, 961 रकबा 0.25, 965 रकबा 0.27, 968 रकबा 0.10, 969 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 3.06 हैक्टेयर ग्राम सुमेल कला तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रास्ता कायमी हेतु एक साधारण प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया गया। जिसमें प्रार्थीगण ने अदालत में हाजिर होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश पुत्र माधो राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। जिसने उपजिला कलक्टर बांदीकुई को अपनी राजनैतिक पहुंच के कारण दबाव में ले रखा है और जल्द से जल्द सुनवाई कराकर अपनी सुविधानुसार प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुये निस्तारण कराने पर आमादा है। जिसके कारण प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का हनन होने व प्रार्थीगण के साथ अन्याय होने की सम्भावना बन गई है। प्रार्थीगण को उपजिला कलक्टर बांदीकुई से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जा कर न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष लम्बित प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 46/2022 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में प्रकरण संख्या 46/2022 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत कर भूमि खसरा संख्या 484 रकबा 0.15 है. में से 0.8 भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार बसवा की अभिशंषा रिपोर्ट पर मौके पर चालू रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड दर्ज करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर सभी खातेदारों को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये है। उक्त भूमि रास्ते के काम में आ रही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 66/2022 वादपत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 54/2022 उनवानी तेजसिंह बनाम जगदीश वगैरा को भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। जिसमे एकपक्षीय स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ है। प्रार्थीगण का एकमात्र उद्‌देश्य प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करना है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि तहसीलदार बसवा की अभिशंषा के आधार पर मौके पर चालू रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड कराने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं सभी खातेदारान को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया है। खातेदारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 66/2022 वादपत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 54/2022 उनवानी तेजसिंह बनाम जगदीश वगैरा को भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण कैलाश बनाम सरकार मुकदमा संख्या 46/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, काश्तकारी अधिनियम को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थी तेजसिंह, रघुनाथ पुत्रान किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुमेल कलां तहसील बसवा जिला दौसा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई उभयपक्षकारान को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 22.6.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official